धारा - 212 R.T.A.C.

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

धापू बाई V/s मांग्या 23/18/20

		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/1/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक - 12/03/2025 को पेश हो।	
12/3/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक - 14/5/25 को पेश हो।	
14/5/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस दिनांक - 18/6/25 को पेश हो।	
18/6/25	पत्रावली पेश। ~~वास्ते~~ बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक - 25/06/25 को पेश हो।	
25/6/25	पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया की भूमि ख०स० 470, 1680/594, 467, 468, 469 का दिनांक 30/03/1999 को मांग्या उर्फ मांगीलाल व कजोड़ द्वारा प्रार्थीगण के पक्ष मे रजिस्टर्ड वसीयतनामा किया गया था। कजोड़ जी की मृत्यु हो चुकी है। मांग्या वर्तमान मे जीवित है। अप्रार्थी स० 1 व 2 हमे बेदखल करना चाहते है। हमारा 40 वर्षों से हमारा कब्जा चला आ रहा है, हमारे पक्ष मे वसीयतनामा निष्पादित है। दौराने वाद हमे बेदखल नहीं करने, बेचान नहीं करने हेतु T.I. जारी किया जावें। वकील प्रार्थीगण के उक्त तथ्यों के खण्डन मे वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कथन किया की हमें रजि० वसीयत स्वीकार है। प्रार्थी स० 1 के नाम कि गई वसीयत निरस्त की जा चुकी है। कजोड़ मांग्या का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी है। वसीयत निरस्त हो जाने से मांग्या की मृत्यु के बाद रिकॉर्ड मे परिवर्तन होगा। हमने काउन्टर क्लेम पेश, T.I. जारी करने	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

बाबत पेश किया है। इनका मुख्य आधार वसीयतनामा है, जो मान्या की जीवित अवस्था में चलने योग्य नहीं है। विवादित भूमिया हमारी खातेदारी में दर्ज है, प्रथम दृष्टया मामला व नुकसान हमें होगा। हमारा काउन्टर क्लेम स्वीकार कर प्रार्थीगण के विरुद्ध T.I. जारी की जावें।

खण्डन में वकील प्रार्थीगण ने कथन किया की तीनो बिन्दुओ पर प्रकरण का निर्णय होना है। गोद की रस्म दोनों पक्षों की उपस्थिति में होती है। गोद को तय करने का अधिकार civil court को है। यह बिन्दु साक्ष्य के दौरान तय होगा की हकदार कौन है। हमारे पक्ष में निष्पादित वसीयतनामे को "civil court" द्वारा निरस्त किये जाने तक हमारे कब्जे काश्त को संरक्षित करवाने का हमें अधिकार प्राप्त है। मौके पर काबिज व्यक्ति को बेदखल नहीं करने की T.I. जारी की जावें।

वकील प्रार्थीगण के उक्त तथ्यों के खण्डन में वकील अप्रार्थी ने कथन किया की civil court में वसीयत निरस्ती की कोई बात हुई नहीं है। मेरी जीवित अवस्था में इनको कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रकरण खारीज किया जावें।

हमने बहस वकील पक्षकारान पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी सम्वत 2075-78 ग्राम काबुल के खाता नम्बर 56 मे भूमिया अप्रार्थी सख्या 1 व खाता नम्बर 54 मे अप्रार्थी सख्या 1 व कब्जेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमियो बाबत खातेदार मान्या उर्फ मांगीलाल व कब्जेदार द्वारा

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थी सं. 1 धापूबाई के पक्ष में दिनांक 30/3/1999 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा किये जाने की छाया प्रति उपलब्ध है। गोदपुत्र होने बाबत भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।	
	प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण हेतु निर्धारित तीनों बिन्दुओं पर न्यायालय निष्कर्ष निम्न प्रकार है:-	
1.	प्रथम दृष्टया मामला :- प्रकरण में अंकित विवादित भूमियाँ अप्रार्थी सं. 1 व कजोड़ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जिसकी खातेदारों द्वारा दिनांक - 30/3/1999 को रजि. वसीयतनामा प्रार्थी सं. 1 के पक्ष में निष्पादित है। वसीयतनामा खातेदार के जीवित रहते हुये प्रभावी नहीं रहता है, और ना ही उसके आधार पर किसी वसियत गृहिता को हक व स्वत्व प्राप्त होता है, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।	
2.	सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :- प्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयतनामा, वसीयतकर्ता के जीवित होने से प्रभावी नहीं होने व अन्य प्रार्थीगण का गोदपुत्र होना प्रमाणित नहीं आने से सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नहीं बन रहा है।	
3.	अपूरणीय क्षति की सम्भावना :- विवादित भूमियों बाबत मामला प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनने व सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नहीं होने से प्रार्थीगण को कोई अपूरणीय क्षति की सम्भावना प्रतीत नहीं होती है।	
	उपरोक्त विवेचनानुसार मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने, सुविधा सन्तुलन भी हक में नहीं होने व प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति की सम्भावना नहीं बनने से प्रकरण खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली